

जोन-डी में धड़ल्ले से अवैध निर्माण, रिहायशी इलाकों में खड़ी हो रहीं कमर्शियल इमारतें निगम की कार्रवाई कागजों तक सीमित, सील बिल्डिंगों में शुरू हुआ निर्माण

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

एक तरफ नगर निगम के कमिश्नर, मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर 31 मार्च तक अधिक से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए शहर के अलग-अलग जोनों में बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जोन-डी में अवैध बिल्डिंगों के निर्माण की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों के कथित सेटिंग के चलते कई जगह बिल्डिंग बायलॉज की खुलकर धजियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं बेसमेंट वाली बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं तो कहीं रिहायशी इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं।

सूत्रों के मुताबिक अवैध निर्माण का खेल एक तय प्रक्रिया के तहत चलता है। पहले बिल्डिंग का काम सेटिंग के जरिए शुरू करवाया जाता है, फिर निगम की तरफ से औपचारिकता निभाने के लिए चालान काट दिया



जाता है। इसके बाद बिल्डिंग पास होने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती, लेकिन निर्माण कार्य लगातार जारी रहता है। इस तरह चालान काटना ही कई मामलों में अवैध निर्माण को अप्रत्यक्ष लाइसेंस देने जैसा बन गया है।

न्यू विवेक नगर की सील इमारत में फिर शुरू हुआ निर्माण
दिसंबर महीने में न्यू विवेक नगर में बायलॉज का उल्लंघन कर बेसमेंट के साथ बनाई जा रही एक इमारत को नगर निगम ने सील कर दिया

था। निगम की तरफ से इस बिल्डिंग मालिक को कई बार नोटिस भी भेजे गए थे। इसके बावजूद अब फिर से कथित सेटिंग के चलते उस बिल्डिंग में निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले कार्रवाई दिखाई जाती है और बाद में समझौते के बाद काम फिर शुरू हो जाता है।

समिटरी रोड पर सील बिल्डिंग में भी जारी काम
इसी तरह समिटरी रोड पर भी अवैध निर्माण का एक अलग ही नजारा

देखने को मिला। यहां बाहर से नगर निगम की तरफ से बिल्डिंग सील की हुई है और नोटिस भी चिपकाया गया है, लेकिन अंदर धड़ल्ले से काम चल रहा है। इतना ही नहीं, बाहर से इमारत पर प्लास्टर तक किया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। यह स्थिति साफ दिखाती है कि सीलिंग की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह गई है।

नक्शे से अलग बन रही इमारतें
शहर के कई इलाकों में बिल्डिंगों का नक्शा कुछ और पास कराया

एमटीपी बोले-रिपोर्ट मांगी, होगी कार्रवाई



इस मामले में एमटीपी विजय कुमार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मिल चुकी है। उन्होंने एटीपी को मौके पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जाता है, जबकि वास्तविक निर्माण बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। कई जगह रिहायशी एरिया में ही कमर्शियल बिल्डिंगें बना दी गई हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते करीब 10 फुट चौड़ी सड़क पर ही बेसमेंट समेत बहुमंजिला इमारत तैयार कर दी गई और उसमें 10 से अधिक दुकानें भी बना दी गईं। बत्संग रोड, पिंडी बैग के पास भी बिना कमर्शियल परमिशन और बिना पार्किंग की व्यवस्था के बिल्डिंग तैयार कर दी गईं। आरोप है कि बाद में अधिकारी नोटिस भेजकर केवल जुर्माना जमा करवा लेते हैं और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके बाद आम लोगों को यही

बताया जाता है कि बिल्डिंग पास है। **ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या बढ़ी**
शहर की आबादी के साथ-साथ ट्रैफिक भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बाजारों और रिहायशी इलाकों में अवैध कमर्शियल बिल्डिंगें बनने से पार्किंग की समस्या और गंभीर होती जा रही है। कई जगहों पर पार्किंग न होने के कारण सड़क पर ही वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई तो शहर का नक्शा और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ सकती है।

दिवंगत रमा खन्ना के निमित्त आज होगा श्री गरुड़ पुराण का पाठ

समर न्यूज़ | लुधियाना

समाजसेवी परिवार खन्ना परिवार की माता रमा खन्ना के निधन के उपलक्ष्य में रस्म पाड़ी और श्री गरुड़ पुराण पाठ का भोग 14 मार्च शनिवार को आयोजित किया जाएगा। रमा खन्ना 4 मार्च 2026 को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करते हुए प्रभु चरणों में विलीन हो गईं। उनकी आत्मिक शांति के लिए आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गरुड़ पुराण पाठ का भोग एवं रस्म पाड़ी आज दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे तक रखा गया है। यह कार्यक्रम डॉ. अंबेडकर भवन, जालंधर बाईपास चौक के नजदीक, लुधियाना में संपन्न होगा। परिवार में बलराज खन्ना एमडी, जागृति लहर व नंदी खन्ना बेटा-बहू, गौतम जालंधरी संपादक जागृति लहर, मानसी खन्ना बेटा-बहू,हरमिताश्व खन्ना सत्री,जैशना खन्ना यूएसए, (बेटा-बहू) प्रीति नंदा



(PSEB), प्रवेश नंदा यूएसए बेटी दामाद, खुशी खन्ना, स्माइल खन्ना, युवराज खन्ना, युवान खन्ना, अयान खन्ना (यूएसए), हरवित खन्ना, समायरा खन्ना (यूएसए) पोते-पोतियां, रचिता नंदा दोहदरी सहित अन्य परिजन शामिल हैं। परिवार ने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। शोक संदेश में खन्ना परिवार, चोपड़ा परिवार, आनंद परिवार, अबरोल परिवार और नंदा परिवार सहित समस्त संबंधियों ने गहरा दुःख व्यक्त किया है।

लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में दीक्षांत समारोह का आयोजन

समर न्यूज़ | लुधियाना

लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स का दीक्षांत समारोह 13 मार्च 2026 को बड़े उत्साह और गर्व के साथ संपन्न हुआ। यह समारोह प्रिंसिपल श्रीमती सुमन लता जी के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। पटियाला स्थित पंजाबी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जगदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान, समर्पण और कड़ी मेहनत को निरंतर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दीक्षांत समारोह में 3836 छात्राओं को उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर डिग्री प्रदान की गई। मुख्य अतिथि ने युवा महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण



शिक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य को सवारने में कॉलेज के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्नातक छात्राओं को समाज में सकारात्मक योगदान देने और ईमानदारी और उत्कृष्टता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया। समारोह में डॉ. मंजू साहनी, डॉ. जसवंत सिंह, सरदार कुलदीप सिंह, सरदार सोही जी, डॉ. राजीव और कॉलेज की पीटीए सदस्य श्रीमती कविता शर्मा जी सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की।

ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं लाभ: सचिव डीएलएसए डॉ. अमनदीप
समर न्यूज़ | लुधियाना

सीजेएम-कम-सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) लुधियाना डॉ. अमनदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च को जिला न्यायालय परिसर लुधियाना तथा सिविल कोर्ट्स जगराओं, खन्ना, समराला और पायल में विभिन्न न्यायिक अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने आपसी विवादों का निपटारा कर सस्ता और शीघ्र न्याय प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि लोगों के झगड़ों को आपसी सहमति से जल्दी और कम खर्च में निपटाने के उद्देश्य से ही इस लोक अदालत का आयोजन किया

14 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं लाभ: सचिव डीएलएसए डॉ. अमनदीप

जाता है। डॉ. अमनदीप ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में सिविल मामलों जैसे किराया विवाद, बैंक रिकवरी केस, राजस्व मामले, बिजली-पानी के बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्तों से जुड़े मामले, सेवा निवृत्ति लाभ, वन अधिनियम के केस, दुर्घटना मुआवजा, आपराधिक समझौता योग्य मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतें आदि मामलों की सुनवाई की जाएगी। इन मामलों का निपटारा संबंधित सिविल जजों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा लोक अदालत में किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस लोक अदालत में ऐसे प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा, जो अभी तक किसी अदालत में दायर नहीं किए गए हैं।

डॉ. अमनदीप ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में सिविल मामलों जैसे किराया विवाद, बैंक रिकवरी केस, राजस्व मामले, बिजली-पानी के बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्तों से जुड़े मामले, सेवा निवृत्ति लाभ, वन अधिनियम के केस, दुर्घटना मुआवजा, आपराधिक समझौता योग्य मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतें आदि मामलों की सुनवाई की जाएगी। इन मामलों का निपटारा संबंधित सिविल जजों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा लोक अदालत में किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस लोक अदालत में ऐसे प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा, जो अभी तक किसी अदालत में दायर नहीं किए गए हैं।

दुर्गा कॉलोनी में अवैध कॉलोनी पर निगम की कार्रवाई, सीवर लाइन उखाड़ी

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने जोन-बी के अंतर्गत आने वाले दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र में बन रही एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम आयुक्त डॉ. नीरू कत्याल गुप्ता के निर्देश पर बिल्डिंग ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और कॉलोनी में डाली जा रही सीवर लाइन को उखाड़ दिया। इसके साथ ही वहां बनाए जा रहे कुछ निर्माणाधीन ढांचों को भी ध्वस्त कर दिया गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि उक्त कॉलोनी बिना अनुमति विकसित की जा रही थी। इस कारण निगम को



कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शहर में किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भवन नक्शा निगम से स्वीकृत

करवाना अनिवार्य है। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि शहर में अवैध निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

ऑनलाइन गेम में 2 लाख हारने के बाद लापता युवक लुधियाना में मिला

समर न्यूज़ | लुधियाना

लुधियाना में ऑनलाइन गेम में 2 लाख रुपये हारने के बाद घर से गायब हुए एक युवक को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तलाश कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया। युवक एक सब-इंस्पेक्टर का बेटा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय धर्मेश कुमार दिल्ली में पढ़ाई करता है और साथ ही शेयर मार्केट ट्रेडिंग से भी जुड़ा हुआ था। परिवार मूल रूप से आगरा का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रह रहा है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम में करीब 2 लाख रुपये हारने के बाद वह मानसिक रूप से तनाव में आ गया और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। परिजनों के मुताबिक धर्मेश दिल्ली

से ट्रेन के जरिए लुधियाना पहुंचा और थाना डिबीजन नंबर-1 क्षेत्र के फ्रीलडंगज स्थित छोटू राम धर्मशाला में ठहर गया। घर से जाने के बाद उसने किसी का फोन रिसीव नहीं किया, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई। पिता ने बेटे की लोकेशन ट्रेस की, जिससे उसके लुधियाना में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस हकत में आई और लोकेशन के आधार पर धर्मशाला पहुंचकर युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से लापता होने की सूचना मिलते ही तत्परता से कार्रवाई की गई। युवक को कोर्टसेलिंग के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। थाने पहुंचे परिजनों ने उसे समझाया और वापस घर ले गए।

लुधियाना में ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण का मामला एनजीटी पहुंचा, आदेशों की अवहेलना का आरोप

लक्की मेहता | लुधियाना
समर न्यूज़

शहर के ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक पार्कों पर कथित अतिक्रमण को लेकर मामला एक बार फिर एनजीटी में पहुंच गया है। पब्लिक एक्शन कमेटी ने एनजीटी के आदेशों का पालन न होने पर जॉइंट कमेटी के खिलाफ एक्सीक्यूशन एप्लिकेशन दायर की है। पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्य इंजीनियर कपिल अरोड़ा और जसवीर सिंह ने बताया कि यह मामला एप्लिकेशन नंबर 381/2025 से जुड़ा है, जिसमें लुधियाना के लगभग 25 ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक पार्कों पर बार-बार हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था। शिकायत में नगर निगम लुधियाना, लुधियाना इम्प्यूमेंट ट्रस्ट



और ग्लाडा सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था। बताया गया कि पुराने जीटी रोड पर बुड्डा दरिया के पास, सराभा नगर जोन-डी कार्यालय के आसपास और मॉडल टाउन एक्सटेंशन सहित कई जगहों के ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्य होने की शिकायत की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद 31 जुलाई 2025 को एनजीटी ने एक संयुक्त कमेटी का गठन किया था। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और उपायुक्त लुधियाना को

नोडल एजेंसी के रूप में शामिल किया गया था। कमेटी को तीन महीने के भीतर जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। पब्लिक एक्शन कमेटी के कुलदीप सिंह खैरा और गुरप्रीत सिंह का कहना है कि छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कमेटी ने ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन नहीं किया। अगस्त 2025 में आदेशों को लेकर मीडिया में खबरें भी प्रकाशित हुईं, लेकिन संबंधित विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2025 और 10 जनवरी 2026 को उपायुक्त लुधियाना को व्हाट्सएप पर एनजीटी के आदेश भेजे गए, जबकि 21 नवंबर 2025 को संयुक्त कमेटी के सभी सदस्यों को ई-मेल भी भेजी गई। इसके बावजूद

अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉ. अमनदीप सिंह बैस ने कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता का फायदा उठाते हुए अब पुराने जीटी रोड स्थित उसी ग्रीन बेल्ट में तहसील कार्यालय के निर्माण की तैयारी शुरू होने की जानकारी मिली है, जो मास्टर प्लान, पर्यावरण कानूनों और अदालतों के निर्देशों का उल्लंघन है। पब्लिक एक्शन कमेटी ने बताया कि इस संबंध में एनजीटी में दायर एक्सीक्यूशन एप्लिकेशन को Exe 16/2026 नंबर दिया गया है। याचिका में ट्रिब्यूनल से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, ऐसे कार्यों पर खर्च हुए सार्वजनिक धन की वसूली जिम्मेदार अधिकारियों से करने और शहर के ग्रीन स्पेस की सुरक्षा के लिए सख्त आदेश जारी करने की मांग की गई है।

ट्यूशन टीचर के पति ने 11 साल की मासूम से की अश्लील हरकत

राहुल शर्मा | लुधियाना
समर न्यूज़

महानगर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला बेहद धिनीना मामला सामने आया है। राहो रोड स्थित कुलदीप नगर में एक मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की गई, जिससे इलाके में रोष का माहौल है। थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने शिकायतकर्ता जतिंदर सिंह की शिकायत पर आरोपी नरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि उनकी 11 साल की नाबालिग बेटी अपने भाई तरनवीर सिंह के साथ घर के पास ही स्थित परमिंदर कौर के घर ट्यूशन पढ़ने गई थीं। परमिंदर कौर अपने घर में ही विद्यार्थियों को कोचिंग देती है। इसी दौरान मैडम के पति नरेंद्र कुमार

ने खराब नीयत के चलते बच्ची को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। हालांकि, आरोपी की इस हरकत से डरी सहमी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और बिना किसी खौफ के शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर ट्यूशन पढ़ रहे अन्य बच्चे और खुद मैडम परमिंदर कौर भी मौके पर पहुंच गए। खुद को भीड़ से धिक्का देख आरोपी डर गया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद मासूम बच्ची रोती हुई अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने आरोपी नरेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समाज में ऐसे दरिद्रों के लिए कोई जगह नहीं है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।



उत्तर भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज़ चैनल और अखबार



पंजाबी साप्ताहिक अखबार



हिंदी दैनिक अखबार





thesummernews

पंजाब • हरियाणा • हिमाचल प्रदेश • चंडीगढ़ • दिल्ली

FOR BUSINESS QUERIES CONTACT US:
62838-60059

गुप एडिटर: अशदीप सिंह, एजीक्यूटिव एडिटर : चंदन स्वप्निल*, मुद्रक, प्रकाशक, इंग्लिश प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट- 22, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, पंचकूला। आरएनआई पंजीकरण संख्या: CHMUL/25/A1155

*इस अंक में प्रकाशित सभी समाचार पीआरबी के चयन एवं संपादन हेतु हैं। अधिनियम के अंतर्गत सभी उत्तरदायित्व और उससे उत्पन्न सभी विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होंगे। वर्ष 1 अंक 187